



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./09/71/2018/एफ.सी.

दिनांक: 31 /07/2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद- पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम बिजनी छोटी तथा ग्राम कुमारथा निकट मोहनचट्टी में साहसिक पर्यटन कार्य हेतु जम्पइन एडवैन्चर्स प्रा० लि० मोहनचट्टी, ऋषिकेश के पक्ष में 0.157 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में। (Online Proposal No. FP/UK/OTHERS/9959/2015).

सन्दर्भ: कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1956/12-1: देहरादून: दिनांक 07-03-2024 (received online on 18.03.2024).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.10.2018 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनार्थे चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गयी हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नोक्त बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. The State Forest Department/ Divisional Forest Officer shall certify that the user agency has not carried out any construction work after lapse of lease period.
2. The DFO shall certify that there is no violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah

Date: 31-07-2024 13:17:23

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडान वन प्रभाग, उत्तराखण्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु।